UPSB010009102022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सोनभद्र

उपस्थितः– पंकज श्रीवास्तव, (उच्चतर न्यायिक सेवा), जे.ओ. कोड 02668

क्रिमिनल अपील संख्या–09/ 2022,

समीर कुमार उर्फ शनि पुत्र नेत्रपाल द्वारा संरक्षक पिता नेत्रपाल पुत्र बालेश्वर, निवासी वार्ड नं.–2, गुरमा जेल कैम्प, गुरमा, थाना–चोपन, जिला–सोनभद्र

बनाम

उ.प्र. सरकार

क्रिमिनल अपील अं.धारा–101 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण) अधि.,विरूद्ध आदेश दिनांक 10.02.2022, प्रकीर्णवाद संख्या–01/ 2022,मु.अ.सं–341/2021,अं.धारा–306भा.दं.सं.,थाना–चोपन, सोनभद्र

–: निर्णय :–

प्रस्तुत अपील मु.अ.सं.–341/ 2021, अं.धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–चोपन, जनपद–सोनभद्र में अपीलार्थी उपरोक्त की ओर से किशोर न्याय बोर्ड, सोनभद्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सोनभद्र द्वारा विधिविवादित अपचारी समीर कुमार उर्फ शनि के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है।

मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि वादिनी सुमन देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद गोड़, वार्ड नं.–2 गुरमा जेल कैम्प, पोस्ट–गुरमा मारकुण्डी, थाना–चोपन, सोनभद्र द्वारा लिखित तहरीर थाना पर इस कथन के साथ दिया कि उसकी पुत्री अमीषा दिनांक 25.12.2021 को 2.00 बजे मारकुण्डी बैराज बांध के पानी में कूद कर अपनी जान दे दी है। उसकी पुत्री के मरने के पीछे समीर कुमार उर्फ शनि पुत्र नेत्रपाल, निवासी वार्ड नं.–2 गुरमा, जेल कैम्प, पोस्ट गुरमा, मारकुण्डी, थाना–चोपन, सोनभद्र का हाथ है, जो उसकी पुत्री को फोन करता था और उसकी लड़की को परेशान करता था। उसकी पुत्री कई बार उससे यह बात बतायी थी। उसकी लड़की को यही उकसाया है। जिससे उसकी पुत्री अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका अमीषा की उम्र लगभग 17 वर्ष थी। वादिनी की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ।

विधिविवादित किशोर अपचारी के संरक्षक द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनवाई के उपरांत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध विधि विवादित किशोर अपचारी के संरक्षक द्वारा अपील योजित की गयी है।

प्रस्तुत दाण्डिक अपील में अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह आधार उल्लिखित किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बिना पत्रावली का सम्यक अवलोकन व स्वस्थ्य मस्तिष्क के प्रयोग के सरसरी तौर पर आदेश दिनांकित 10.02.2022 पारित किया गया है। विधिविवादित अपचारी ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन कथन सरासर गलत आधारहीन मनगढंत व सत्यता के विपरीत है। विधिविवादित किशोर अपचारी द्वारा मृतका को आत्महत्या हेतु उत्पीड़ित नहीं किया है और न, ही हत्या का कोई दुष्प्रेरण ही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखायी गयी है। विधिविवादित किशोर अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी

सामाजिक क्षवि अच्छी है। विधिविवादित किशोर अपचारी जमानत के उपरांत अपने पिता/ संरक्षक की संरक्षकता में रहेगा और पढ़ायी के कार्यो में लगा रहेगा। विधिविवादित किशोर अपचारी जय ज्योति इण्टर कालेज का छात्र है। उसके किशोर गृह में निरूद्ध रहने से उसकी पढ़ायी बाधित हो रही है। उक्त आधार पर दाखिल अपील को स्वीकार कर विधिविवादित किशोर को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता(फौज.)द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 विधिसम्मत है। विधिविवादित किशोर को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके किसी ज्ञात अपराधिक व्यक्ति के साहचर्य में पड़ जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी द्वारा कोई त्रुटि व चूक दर्शित नहीं की गयी है। उक्त आधार पर प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

मामले में वादिनी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार चौबे द्वारा विधिविवाति किशोर अपचारी को जमानत पर रिहा किये जाने के बावत् घोर आपत्ति दर्ज की तथा अपील को निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विधिविवादित किशोर के संदर्भ में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने उसकी सामाजिक अन्वेषण आख्या प्रस्तुत की है, जिसमें विधिविवादित किशोर की मानसिक, शारीरिक व सामाजिक स्थिति सामान्य बतायी गयी है। उसके अधिकांश मित्र उसी आयु वर्ग व एक ही लिंग के हैं। बालक किसी अपराध का पीड़ित नहीं है। बालक का किसी गैंग द्वारा व औषधियों/ वितरण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लिखित किया है कि पूछताछ के दौरान विधिविवादित किशोर के पिता द्वारा उन्हें यह बताया गया कि लड़की के घर में आपसी विवाद होने के कारण आपस में मार पीट हुई तथा लड़की के घर वालों के द्वारा और लोगों के द्वारा लड़की के साथ मार पीट किये जाने के कारण लड़की की मानसिक स्थिति खराब हो गयी, जिस कारण लड़की ने गांव में स्थित बंधे में कूदकर आत्महत्या कर ली। पास पड़ोस व गांव के व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि विधिविवादित किशोर अपचारी पूर्ण रूप से निर्दोष है। किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधिविवादित अपचारी को कथित घटना के दिनांक पर 14 वर्ष 11 माह 05 दिन का होना पाया गया है। अपीलार्थी की ओर से पत्रावली में विधिविवादित किशोर अपचारी के संदर्भ में चेकलिस्ट हाईस्कूल परीक्षा व हाईस्कूल परीक्षा का डेट सीट दाखिल किया गया है। जिसके अनुसार विधिविवादित किशोर अपचारी की परीक्षा 24 मार्च से होना नियत है। विधिविवादित किशोर के आपराधिक इतिहास को अभियोजन की ओर से दर्शित नहीं किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का कल्याण करना है। यह अधिनियम किशोर अपचारी के नैतिक,भौतिक और मनोवैज्ञानिक सुधार प्राप्त करना चाहता है। मामले में पुलिस कल्याण अधिकारी द्वारा किशोर को किसी अन्य अपराध में सम्मिलित होने की आख्या प्रस्तुत नहीं की है। मामले में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.02. 2022 में किशोर अपचारी के नैतिक,भौतिक व मनोवैज्ञानिक सुधार पर विचार न करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 त्रुटिपूर्ण है, जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

दाण्डिक अपील तद्नुसार स्वीकार की जाती है।

मु.अ.सं.—341/ 2021, अं.धारा—306भा.दं.सं., थाना—चोपन, जनपद—सोनभद्र में विधिविवादित किशोर समीर कुमार उर्फ शनि को उसके संरक्षक द्वारा मु. 1,00,000/—रू. का स्वबंध पत्र व समान धनराशि की दो जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

आदेश की एक प्रति किशोर न्याय बोर्ड अविलम्ब प्रेषित हो।

(पंकज श्रीवास्तव)

दिनांक 14.03.2022 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो)/ बाल न्यायाधीश, सोनभद्र

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(पंकज श्रीवास्तव)

दिनांक 14.03.2022 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो)/ बाल न्यायाधीश, सोनभद्र